भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2373

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत योजना की सीमाएं

2373. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की सीमाओं, विशेषकर इसकी समग्र पद्धति के बजाय परियोजना उन्मुख पद्धति को स्वीकार करती है और यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं:

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन में निर्वाचित शहरी प्रतिनिधियों सहित हितधारकों को कथित रूप से शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया गया/विचार किया जा रहा है; और

(ग) 'पेय जल सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि सर्वेक्षण किए गए 485 शहरों में से केवल 46 शहरों ने घरों और शोधन संयंत्रों से पानी के नमूनों हेतु शत-प्रतिशत पास रेट प्राप्त की है और शहरों में पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को अधिकार देता है। परियोजनाओं के चयन और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

अमृत दिशा-निर्देशों में हितधारकों/निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का प्रावधान है। मिशन दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और राज्य के संबंधित विभाग के सदस्यों वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। साथ ही मिशन दिशा-निर्देशों में अमृत परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर के साथ सह-अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति का प्रावधान है ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) की रिपोर्ट के अनुसार, 77,640 करोड़ रुपए के स्वीकृत योजना आकार से, 83,578 करोड़ रुपए की 6,010 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 79,401 करोड़ रुपए के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। राज्यों के साथ अभिसरण में अमृत मिशन के अंतर्गत 139 लाख के लक्ष्य के स्थान पर 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) प्रदान किए गए हैं; 145 लाख के लक्ष्य के स्थान पर 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से कवर किए गए आवासों सहित) प्रदान किए गए; 19,598 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 64,463 किलोमीटर का जलापूर्ति नेटवर्क बनाया गया है; 4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) और 4,734 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; 1,434 किलोमीटर लम्बी नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,708 स्थानों पर जलभराव की समस्या समाप्त हुई हैं; 5,086 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल मार्ग/पथ तथा 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किया गया है।

(ग): अमृत 2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण , जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन इत्यादि की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज के आकलन के लिए एक उपकरण है। अमृत के तहत जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) परियोजनाएं शुरू की हैं। अमृत के तहत अब तक 4,734 एमएलडी जल शोधन क्षमता विकसित की गई है। अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत जलापूर्ति परियोजनाएं 10,647 एमएलडी जल शोधन क्षमता के सृजन/संवर्द्धन को कवर करती हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत, जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन और अन्य जल क्षेत्रीय परियोजनाओं में महिला एसएचजी समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए अमृत मित्र पहल शुरू की गई है। जल ही अमृत को अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना के रूप

में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। उप-योजना का मुख्य उद्देश्य शोधित अपशिष्ट प्रवाह में क्षमता निर्माण और गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है।

*****